न्यायालय प्रथम अपील अधिकारी (कलक्टर) झालावाड़ (राज0)
पीठासीन अधिकारी श्री हरिमोहन मीना, आई0ए0एस0

मि0नं0 08 /अपील (आर0टी0आई)/2021

के.के शर्मा(पत्रकार)
पताः– 58,रेल्वे हाउसिंग सोसायटी माला रोड़ कोटा जक्शंन– 324002
बनाम
लोक सूचना अधिकारी अति.जिला कलक्टर,झालावाड़

अपील अन्तर्गत धारा 19(1)सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

–:: निर्णय ::– दिनांकः 23.12.2021

अपीलान्ट द्वारा यह अपील लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना उपलब्ध नही कराई जाने पर प्रस्तुत की गई है।

अपीलान्ट ने अपील मेमों में निवेदन किया कि प्रार्थी ने लोक सूचना अधिकारी अति0जिला कलक्टर,झालावाड़ से सूचना चाही जाने पर उनके द्वारा सूचना नही गई है प्रार्थी द्वारा दिनांक 11.10.2021 को सूचना के अधिकार के तहत लोक सूचना अधिकारी,अतिरिक्त जिला कलक्टर,झालावाड़ से निम्न सूचना चाही गई थीः– 01. आपके अधीन झालावाड़ जिले में संचालित मिट्टी आधारित समस्त ईटं भट्टे कि जानकारी। 02. उपरोक्त भट्टे जिस तरह की भूमि पर संचालित है,यथा खेतिहर,उपजाउ मिट्टी,बारानी भूमि,बंजर भूमि,सरकारी भूमि,सिवाय चक,स्वंय कि खातेदारी कि भूमि इत्यादि,भट्टे वाईज मय नाम पता। 03. उपरोक्त भट्टे में से जिस भी ईंट भट्टा व्यवसायी ने भट्टे चलाने की राजस्व या राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण मण्डल से स्वीकृति प्राप्त की हुई है,आदेश की प्रति। 04. उपरोक्त ईंट भट्टों के सचालन कि माह/वर्ष जो भी किस तारीख से जानकारी उपलब्ध हो। प्रार्थी को वांछित सूचना उपलब्ध नही कराने पर अपील प्रस्तुत की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर लोक सूचना अधिकारी को नोटिस भिजवाया जाकर सुनवाई हेतु दिनांकः 23.12.2021 नियत कर आवेदन पत्र पर विधिवत विनिश्चय करते हुए अपीलार्थी को सूचित कर प्रति पेश करने हेतु निर्देशित किया गया।

अपीलार्थी उपस्थित नही। लोक सूचना अधिकारी,अतिरिक्त जिला कलक्टर,झालावाड़ द्वारा उपस्थित हो जवाब पेश किया गया ।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलार्थी के द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत प्रा0पत्र लोक सूचना अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करने पर वांछित सूचना कार्यालय हाजा में संधारित नही होने पर उक्त प्रा0पत्र के विनिश्चय हेतु संम्बन्धित को भिजवाया जाकर सूचना उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया था। अपीलार्थी को समय पर सूचना उपलब्ध नही होने पर अपील प्रस्तुत की गई। लोक सूचना अधिकारी द्वारा पंत्राकः 482/आरटीआई/21 दिनांक 23.12.2021 से अवगत कराया गया है कि आवेदक द्वारा चाही गई सूचना उपखण्ड अधिकारी/तहसीलदार द्वारा संबन्धित को प्रेषित की जा चुकी है,जिसकी छाया प्रति संलग्न कर प्रस्तुत की गई है। इसी प्रकार आवेदक को वांछित सूचना सम्बन्धित उपखण्ड अधिकारी/तहसीलदार द्वारा उपलब्ध कराया जाना जाहिर है। अपीलार्थी का दौराने सुनवाई न्यायालय हाजा में उपस्थित नही होने से भी इस तथ्य की पुष्टी होती है कि वांछित सूचना उनको उपलब्ध हो चुकी है। अपील में अग्रिम कोई कार्यवाही अपेक्षित नही है । अतः अपीलान्ट खारिज की जाती है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांकः 23.12.2021 को मेरे द्वारा टंकित करवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हरिमोहन मीना)
प्रथम अपील अधिकारी
जिला कलक्टर,झालावाड
जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट झालावाड़

क्रमांकः 247-49/रीडर/21 दिनांक
प्रतिलिपीः–

01. प्रभारी अधिकारी, सूचना का अधिकार अधिनियम,कलक्ट्रेट,झालावाड